भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 290

02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: जैव-इनपुट अनुसंधान केंद्रों की स्थापना

290. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 10,000 आवश्यकता आधारित जैव-इनपुट अनुसंधान केन्द्रों के लिए स्थानों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन जैव- इनपुट का ब्यौरा क्या है जिन पर अनुसंधान और विकास किया जाएगा; और

(घ) क्या इनमें से कोई अनुसंधान केन्द्र तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा ताकि स्थानीय किसानों को जैव-आधारित आदानों को अपनाने में सहायता मिल सके, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केन्द्र (बीआरसी) स्थापित करने का प्रावधान है। बीआरसी एक क्लस्टर स्तर का उद्यम है जो स्थानीय किसानों,जो स्वयं ऑन-फार्म इनपुट नहीं बना सकते हैं, को रेडी-टू-यूज प्राकृतिक खेती जैव-इनपुट प्रदान करता है। बीआरसी किसानों को प्राकृतिक खेती जैव-इनपुट संबंधित जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान करता है और प्रदर्शन करता है। बीआरसी की स्थापना स्थानीय आवश्यकता के अनुसार प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय ग्रामीण उद्यमियों आदि द्वारा की जाती है।

प्राकृतिक खेती पद्धति के लिए बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत, निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निस्त्र, दशपर्णी अर्क आदि जैसे जैव आदानों को विकसित किया गया है। जैव-आदान मिट्टी के स्वास्थ्य और पौधों की प्रतिरक्षा में सुधार करते हैं, जिससे फसलें कीटों और रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो जाती हैं। जैविक नियंत्रण, पर्यावास प्रबंधन और पर्यावरण के अनुकूल फॉर्मूलेशन के संयोजन से, प्राकृतिक खेती फसल के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बनाए रखते हुए रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करती है। बीआरसी की स्थापना से इन कृषि आदानों की समय पर आपूर्ति करने में सहायता मिलती है। दिनांक 21.11.2025 तक, राज्यों ने निम्नानुसार 3,517 बीआरसी स्थापित करने की सूचना दी है।

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**बीआरसी की संख्या**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
2.	आंध्र प्रदेश	1863
3.	अरुणाचल प्रदेश	10
4.	असम	15
5.	बिहार	130
6.	छत्तीसगढ़	306
7.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0
8.	दिल्ली	1
9.	गोवा	2

10.	गुजरात	20
11.	हरियाणा	2
12.	हिमाचल प्रदेश	290
13.	जम्मू और कश्मीर	26
14.	झारखंड	0
15.	कर्नाटक	231
16.	केरल	10
17.	लद्दाख	4
18.	मध्य प्रदेश	43
19.	महाराष्ट्र	84
20.	मणिपुर	44
21.	मेघालय	5
22.	मिजोरम	0
23.	नागालैंड	25
24.	ओडिशा	321
25.	पुडुचेरी	4
26.	पंजाब	0
27.	राजस्थान	0
28.	तमिलनाडु	0
29.	तेलंगाना	0
30.	त्रिपुरा	41
31.	उत्तर प्रदेश	62
32.	उत्तराखंड	32
33.	पश्चिम बंगाल	0
कुल		**3517**

(घ): तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, स्थानीय किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने में सहायता करने के लिए 250 बीआरसी की पहचान की गई है। एनएमएनएफ के तहत चिन्हित किए गए बीआरसी की जिलावार संख्या इस प्रकार है:

क्र. सं.	**जिले का नाम**	**बीआरसी की संख्या**
1.	जयशंकर भूपालपल्ली	13
2.	कामारेड्डी	10
3.	कोमुरम भीम आसिफाबाद	16
4.	मेडक	10
5.	मेडचल–मलकाजगिरी	1
6.	नगरकुरनूल	10
7.	नलगोंडा	10
8.	नारायणपेट	7
9.	निर्मल	10
10.	निजामाबाद	10
11.	पेड्डापल्ली	10
12.	संगारेड्डी	10
13.	सिद्दीपेट	10
14.	सूर्यपेटा	10
15.	विकाराबाद	13
16.	यादाद्री भोंगिरी	13
17.	जगतियाल	13
18.	भद्राद्री कोठागुडेम	9
19.	हनुमकोंडा	6

20.	रंगारेड्डी	8
21.	मंचेरियल	8
22.	राजन्ना सिरिसिला	7
23.	महबूबनगर	10
24.	खम्मम	6
25.	वारंगल	4
26.	महबूबाबाद	5
27.	वानापर्थी	3
28.	करीमनगर	4
29.	जोगुलम्बा गडवाल	4
कुल		**250**

*****